मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०१८

मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, २०१८

मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम,२०१८ है.

(२) यह १ अप्रैल, २०१८ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा २ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है), की धारा २ में, खण्ड (झ क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(झ क) "सेवा" का वही अर्थ होगा जैसा कि मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) में उसके लिए समनुदेशित है;".

धारा ३ का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, उपधारा (३) और (४) का लोप किया जाए.

धारा २२ क का अन्तःस्थापन.

४. मूल अधिनियम की धारा २२ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

अनुसूची को संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति.

"२२क. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों और कर की दरों को संशोधित कर सकेगी और उस पर अनुसूची तद्नुसार संशोधित हो जाएगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई भी अधिसूचना, राजपत्र में ऐसी पूर्व सूचना किए बिना जारी नहीं की जाएगी जैसी कि राज्य सरकार, ऐसी अधिसूचना जारी करने के इसके आशय के विषय में युक्तियुक्त समझे.

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी होने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के पटल पर रखी जाएगी और मध्यप्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, १९५७ (क्रमांक ३ सन् १९५८) की धारा २४-क के उपबंध वहां ठीक वैसे ही लागू होंगे, जैसे कि वे किसी नियम को लागू होते.".

अनुसूची का संशोधन.

५. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक १ से ४ और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

"१. नियोजन में के ऐसे व्यक्ति जिनका वार्षिक वेतन या मजदूरी,—

(क)	२,२५,००० रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं
(ख)	२,२५,००० रुपए से अधिक किन्तु ३,००,००० रुपए से अधिक नहीं है	१५०० रुपए (१२५ रुपए प्रतिमाह)

(ग)	३,००,००० रुपए से अधिक किन्तु ४,००,००० रुपए से अधिक नहीं है	२००० रुपए (ग्यारह माह के लिए प्रतिमाह १६६ रुपए और बारहवें माह के लिए १७४ रुपए).
(घ)	४,००,००० रुपए से अधिक है	२५०० रुपए (ग्यारह माह के लिए प्रतिमाह २०८ रुपए और बारहवें माह के लिए २१२ रुपए).

स्पष्टीकरण.—इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिये जहां कोई व्यक्ति किसी वर्ष की समाप्ति के पूर्व नियोजन में नहीं रहता है वहां उस कालावधि के लिये कर के भुगतान का दायित्व अनुपातत: कम कर दिया जाएगा.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी और/या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसका वार्षिक टर्न ओवर :

(क)	२० लाख रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं
(ख)	२० लाख रुपए से अधिक है	२५०० रुपए

३. कोई व्यापारी या व्यक्ति जो माल या सेवा की बिक्री या प्रदाय में लगा हुआ है परंतु जो या तो मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, जिसका वार्षिक ग्रोस टर्न ओवर या प्राप्ति :

(क)	२० लाख रुपए से अधिक नहीं है	कुछ नहीं
(ख)	२० लाख रुपए से अधिक है	२५०० रुपए".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष २०१८-१९ के लिए विधान सभा में बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिए गए भाषण के भाग-दो में अंतर्विष्ट प्रस्तावों को क्रियान्वित करने के लिये तथा मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों तथा मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा वृत्ति कर के भुगतान के दायित्व के उपबंध को युक्तिसंगत बनाने के लिये मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) में समुचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २१ जून, २०१८.

जयंत मलैया
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित."

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, २०१८ के खण्ड ४ द्वारा राज्य सरकार को अधिसूचना के माध्यम से अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों और कर की दरों को संशोधित किये जाने के संबंध में विधायनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जा रही हैं. उक्त प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का होगा.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव, .
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) से उद्धरण

धारा २. (झक) सेवा से अभिप्रेत है किसी भी प्रकार की ऐसी सेवा, जो संभावी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त किया गया हो या प्राप्त किया जा सकता हो.

* * * * * *

धारा ३. (३) उपधारा (२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची के अनुक्रमांक ३ से १० के सामने कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट वर्गों में से किसी भी वर्ग में आने वाले किसी भी विनिर्दिष्ट वार्षिक आय पर कर चुकाने के लिये विहित रीति में विकल्प लेने का अधिकार होगा तथा ऐसे विकल्प का प्रयोग कर लेने पर ऐसा व्यक्ति, उसको लागू अनुक्रमांक २ के सामने कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट वर्ग के सामने कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट दर से, कर चुकाने का दायी होगा.

(४) प्रत्येक व्यक्ति जो, उपधारा (३) के अधीन अनुसूची के अनुक्रमांक २ की प्रविष्टि के अधीन कर चुकाने का विकल्प लेता है, इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, अनुसूची के अनुक्रमांक २ में विनिर्दिष्ट दर से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये कर चुकाएगा, यदि उसकी आय पूर्व वर्ष के दौरान पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है.

* * * * * *

अनुसूची

(धारा ३ देखिए)

वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर की दरों की अनुसूची.

अनु क्रमांक (१)	व्यक्तियों का वर्ग (२)	कर की दर प्रतिवर्ष (३)
१	नियोजन में के ऐसे व्यक्ति जिनका वार्षिक वेतन या मजदूरी—	कुछ नहीं
	(क) १,८०,००० रुपए से अधिक नहीं है	
	(ख) १,८०,००० रुपए से अधिक है	२५०० रुपए "(ग्यारह मास के लिए २०८ रुपए प्रति मास और बारहवें मास के लिए २१२ रुपए)".
	स्पष्टीकरण: इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए जहाँ कोई व्यक्ति किसी वर्ष की समाप्ति के पूर्व नियोजन में नहीं रहता हैं, वहाँ उस कालावधि के लिए कर के भुगतान करने का दायित्व अनुपातत: कम कर दिया जाएगा.	
२	व्यक्ति जो धारा ३ की उपधारा (३) के अधीन विकल्प लेते हैं और जिनकी वार्षिक आय:	
	(क) ५०,००० रुपये से अधिक नहीं है.	कुछ नहीं
	(ख) ५०,००० रुपये से अधिक किन्तु ६०,००० रुपये से अधिक नहीं है.	१,००० रुपए
	(ग) ६०,००० रुपये से अधिक किन्तु १,२०,००० रुपये से अधिक नहीं है.	१,५०० रुपए
	(घ) १,२०,००० रुपये से अधिक हैं.	२,५०० रुपए
३	जहाँ वृत्ति या आजीविका में—	
	(क) विधि व्यवसायी, जिनके अन्तर्गत सॉलिसिटर और नोटरी पब्लिक हैं.	

(१)	(२)	(३)
	(ख) चिकित्सा व्यवसायी, जिनके अन्तर्गत चिकित्सा परामर्शी, दंत चिकित्सक, रेडियोलोजिस्ट, और पैरामेडिकल स्वरूप की ऐसी ही अन्य वृत्तियों या आजीविका में लगे हुए व्यक्ति सम्मिलित हैं.	
	(ग) तकनीकी और वृत्तिक परामर्शी, जिनके अन्तर्गत वास्तुविद इंजीनियर, आर.सी.सी. परामर्शी, कर परामर्शी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, बीमांकका (एक्युअरीज) और प्रबंध परामर्शी हैं.	
	(घ) बीमा अधिनियम, १९३८ (१९३८ का सं. ४) के अधीन अनुज्ञप्त मुख्य अभिकर्त्ता, प्रधान अभिकर्त्ता, विशेष अभिकर्त्ता, बीमा अभिकर्त्ता, और सर्वेक्षक या हानि निर्धारक (लॉस एसेसर),	
	(ङ) समस्त ठेकेदार,	
	(च) संपदा कर्मकारों से भिन्न कमीशन अभिकर्त्ता, दलाल और ब्रोकर, की अवस्थिति:—	
	(एक) ५ वर्ष से कम है	कुछ नहीं.
	(दो) ५ वर्ष या उससे अधिक किन्तु १० वर्ष से कम है	१,००० रुपए
	(तीन) १० वर्ष या उससे अधिक किन्तु १५ वर्ष से कम है	२,००० रुपए
	(चार) १५ वर्ष और उससे अधिक है	२,५०० रुपए
४	(१) अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५२ (१९५२ का सं. ७४) के अधीन मान्यता प्राप्त संगमों के सदस्य.	२,५०० रुपए
	(२) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. ४२) के अधीन मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंजों के सदस्य.	२,५०० रुपए
	(३) संपदा अभिकर्त्ता और ब्रोकर—	
	(क) उस स्थान में जहाँ जनसंख्या २5,००० से कम है	कुछ नहीं
	(ख) उस स्थान में जहाँ जनसंख्या २५,००० और उससे अधिक है	२,५०० रुपए
	(४) कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियों के पूर्णकालिक निदेशक (उनको छोड़कर जो सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए गए हैं).	२,५०० रुपए
	(५) किसी स्टॉक एक्सचेंज द्वारा मान्यता प्राप्त अक्सर्जक (रेमिसर्स)	२,५०० रुपए
	(६) समस्त मदिरा अनुज्ञप्तिधारी	२,५०० रुपए
	(७) मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) में यथा परिभाषित सिनेमा गृहों के नियोजक.	२,५०० रुपए
	(८) (क) सर्विस स्टेशनों सहित तेल पम्पों के स्वामी और जहाँ कोई ऐसा तेल पम्प पट्टे पर दिया गया है, वहाँ उसका पट्टेदार.	१,००० रुपए
	(ख) सर्विस स्टेशन रहित तेल पम्पों के स्वामी और जहाँ ऐसा तेल पम्प पट्टे पर दिया गया है, वहाँ उसका पट्टेदार.	२,००० रुपए
	(ग) सर्विस स्टेशनों के स्वामी और जहाँ कोई सर्विस स्टेशन पट्टे पर दिया गया है, वहाँ उसका पट्टेदार.	२,५०० रुपए

(१)	(२)	(३)
	(९) मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) में यथा परिभाषित निवासयुक्त होटलों के नियोजक जिनमें:—	
	(क) दस बिस्तर से कम हैं.	१,००० रुपए
	(ख) दस बिस्तर या उससे अधिक हैं.	२,५०० रुपए
	(१०) कम्पनियाँ, जो कम्पनी अधिनियम, १९५६ (१९५६ का सं. १) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और किसी वृत्ति, व्यापार या आजीविका में लगी हुई है.	२,५०० रुपए
	(११) चिटफण्ड संचालित करने वाले व्यक्ति या संस्थाएँ	२,५०० रुपए
	(१२) बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ (१९४९ का सं. १०) में यथा परिभाषित बैंककारी कम्पनियाँ.	२,५०० रुपए
	(१३) मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई सहकारी सोसायटियाँ,—	
	(क) जिला स्तरीय सोसायटियाँ, जो किसी वृत्ति, व्यापार या आजीविका में लगी हुई हैं और महिलाओं द्वारा संचालित सोसायटियाँ.	कुछ नहीं
	(ख) ज़िला स्तरीय सोसायटियाँ, जो किसी वृत्ति, व्यापार या आजीविका में लगी हुई हैं (केवल महिलाओं द्वारा संचालित सोसाइटियों को छोड़कर).	१,००० रुपए
	(ग) राज्य स्तरीय सोसायटियाँ, जो किसी वृत्ति, व्यापार या आजीविका में लगी हुई हैं (महिलाओं द्वारा संचालित सोसाइटियों को छोड़कर) २,५०० रुपए.	२,००० रुपए
	(घ) सहकारी चीनी कारखाने और सहकारी चीनी मिलें.	२,५०० रुपए
	(१४) वीडियो पार्लरों या वीडियो लाइब्रेरियों के या दोनों के स्वामी और जहाँ कोई वीडियो पारलर या वीडियो लायब्रेरी या दोनों पट्टे पर दिये हों, वहाँ उसका पट्टेदार या ब्यूटी पार्लरों के स्वामी, केवल ऑपरेटर, फिल्म वितरक, सरकार के या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के स्वामित्व के या उनके द्वारा चलाये जा रहे एस.टी.डी./आई.एस.डी. बूथ को छोड़कर, ऐसे व्यक्ति जो विवाह हाल का स्वामित्व रखते हों/विवाह हाल चला रहे हो:—	२,५०० रुपए
	(क) उस स्थान में जहाँ जनसंख्या २५,००० से कम है.	१,००० रुपए
	(ख) उस स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० और उससे अधिक है.	२,५०० रुपए
	(१५) मध्यप्रदेश साहूकारी अधिनियम, १९३४ (क्रमांक १३ सन् १९३४) के अधीन रजिस्ट्रीकृत साहूकार—	
	(क) उस स्थान में जहाँ जनसंख्या २५,००० से कम है.	१,००० रुपए
	(ख) उस स्थान में जहाँ जनसंख्या २५,००० और उससे अधिक है.	१,५०० रुपए
५	मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १९५८ (क्रमांक २५ सन् १९५८) में यथापरिभाषित स्थापनाओं के नियोजक, उन नियोजकों को छोड़कर जो इस अनुसूची में अन्यत्र विनिर्दिष्ट किए गए हैं—	
	(क) दस से अधिक कर्मचारी नहीं हैं	१,००० रुपए
	(ख) दस से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं	२,५०० रुपए

(१)	(२)	(३)
६	कोई फर्म चाहे भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ (१९३२ का सं. ९) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या न हों, किन्तु उन फर्मों को छोड़कर जो इस अनुसूची की किसी भी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत आती है, जो किसी वृत्ति, व्यापार या आजीविका में लगी हुई है :—	
	(क) उस स्थान में जहाँ जनसंख्या २५,००० से कम है,	कुछ नहीं
	(ख) उस स्थान में, जहाँ जनसंख्या २५,००० या उससे अधिक किन्तु १,००,००० से कम है.	१,००० रुपए
	(ग) उस स्थान में, जहाँ जनसंख्या १,००,००० और उससे अधिक किन्तु ३,००,००० से कम है.	२,००० रुपए
	(घ) उस स्थान में, जहाँ जनसंख्या ३,००,००० और उससे अधिक है.	२,५०० रुपए
७	कारखाना अधिनियम, १९४८ (१९४८ का सं. ६३) में यथापरिभाषित कारखानों के अधिष्ठाता, किन्तु उन्हें छोड़कर जो प्रविष्टि ८ के अन्तर्गत आते हैं :—	
	(एक) जहाँ दस से अनधिक कर्मकार काम करते हैं	१,००० रुपए
	(दो) जहाँ दस से अधिक कर्मकार काम करते हैं	२,५०० रुपए
८	(१) मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यापारी; और / या मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७.	२,५०० रुपए
	(२) (क्रमांक १९ सन् २०१७) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो माल के प्रदाय या संयुक्त प्रदाय जहां कि प्रमुख प्रदाय माल का हो, से सम्बद्ध हो	
९	परिवहन यान जिनका उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक के लिये किया जाता है या जिनको ऐसा उपयोग किया जाने के लिये अनुकूल बनाया गया है के लिये मोटरयान अधिनियम, १९८८ (क्रमांक ५९ सन् १९८८) के अधीन दिये गये अनुज्ञा पत्र के धारक.	
	(क) (एक) तीन पहिये वाले यात्री यान या माल यान के के संबंध में.	कुछ नहीं
	(दो) तीन पहिये वाले दो से तीन यात्री यान या माल यान के संबंध में.	१,००० रुपए
	(तीन) तीन पहिये वाले चार से अधिक यात्री यान या माल यान के संबंध में.	२,००० रुपए
	(ख) (एक) चार पहिए वाली एक टैक्सी, हल्के यात्री यान या माल यान के संबंध में.	कुछ नहीं

(१)	(२)	(३)
	(दो) चार पहिए वाली दो या दो से अधिक किन्तु पांच से कम टैक्सी, हलके यात्री यान या माल यान के संबंध में.	२,००० रुपए
	(तीन) चार पहिए वाली पांच या पांच से अधिक टैक्सी, हलके यात्री यान या माल यान के संबंध में.	२,५०० रुपए
(ग)	(एक) एक भारी यात्री यान या माल यान के संबंध में	१,००० रुपए
	(दो) दो या दो से अधिक भारी यात्री यान या माल यान के संबंध में.	२,५०० रुपए
९क	सेवा प्रदाय में लगे हुए ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल वार्षिक प्राप्तियाँ	
	(क) ३,००,००० रुपए से अधिक नहीं हैं	कुछ नहीं
	(ख) ३,००,००० रुपए से अधिक किंतु ५,००,००० रुपए से अधिक नहीं.	१,००० रुपए
	(ग) ५,००,००० रुपए से अधिक किंतु ८,००,००० रुपए से अधिक नहीं.	२,००० रुपए
	(घ) ८,००,००० रुपए से अधिक हैं.	२,५०० रुपए
९ख	(क) कोचिंग संस्थान, संशिक्षकीय संस्थाएं या प्रशिक्षण संस्थाएं चला रहा व्यक्ति (केन्द्र/राज्य सरकार या स्थानीय निकायों द्वारा धारित से भिन्न).	२,५०० रुपए
	(ख) संपत्ति विकासकर्ता	२,५०० रुपए
	(ग) नर्सिंग होम, अस्पताल, पेथोलाजिकल टेस्टिंग लोबोरेटरीज, एक्स रे क्लीनिक और मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर चला रहा व्यक्ति (राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे से भिन्न).	२,५०० रुपए
	(घ) ट्रेवल और टूर एजेंसी, विज्ञापन एजेंसी चला रहा व्यक्ति	२,५०० रुपए
	(ड़) कुरिअर सर्विस, प्लेसमेन्ट सर्विस उपलब्ध करवा रहा व्यक्ति	२,५०० रुपए
	(च) वे ब्रिज आपरेटर्स	२,५०० रुपए
	(छ) चलचित्र उद्योग में नियोजित व्यक्ति अर्थात निर्माता, निर्देशक, अभिनेता (कनिष्ठ अभिनेता से भिन्न), गायक, संपादक, रिकार्डिस्ट और कैमरामेन).	२,५०० रुपए
९ग	(क) इंटीरियर डेकोरेटर;	
	(ख) ड्रायक्लीनर और इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाने वाला, इंटरनेट कैफे, इन्फॉरमेशन कियोस्क चला रहा व्यक्ति;	
	(ग) जिम और फिटनेस सेन्टर चला रहा व्यक्ति	
	उपरोक्त समस्त तीनों श्रेणियों के लिए	
	(एक) किसी ऐसे स्थान में जहां जनसंख्या २५,००० से कम है.	कुछ नहीं
	(दो) किसी ऐसे स्थान में जहां जनसंख्या और उससे अधिक है.	२,५०० रुपए

(१)	(२)	(३)
१०.	किन्हीं भी पूर्ववर्ती प्रविष्टियों में वर्णित उन व्यक्तियों को छोड़कर, ऐसे व्यक्ति जो किसी वृत्ति, व्यापार, आजीविका या नियोजन में लगे हुए हैं, ऐसी दर से जैसी कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.	

स्पष्टीकरण: इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए जनसंख्या से अभिप्रेत है ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित् की गई जनसंख्या जिसके सुसंगत आँकड़े प्रकाशित हो गए हैं.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.